परिशिष्ट 3

तहसीलदारों का नामांकन, नियुक्ति, प्रोन्नति आदि

(पुनरीक्षित)

अध्याय 32

राजकीय अधि० सं० 4332/आई-21-एन० टी० टी०-38, दिनांक 11 दिसम्बर, 1944

भाग 1

सामान्य

838. संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ—ये नियम अधीनस्थ राजस्व शासकीय सेवा (तहसीलदार) नियमावली, 1944 कहे जायेंगे तथा अपनी अधिसूचना की तिथि से प्रभाव ग्रहण करेंगे।

839. सेवा का स्तर व नियंत्रण—अधीनस्थ राजस्व शासकीय सेवा (तहसीलदार) एक राजपत्रित स्तर की अधीनस्थ सेवा है। यह परिषद के प्रशासनिक नियंत्रण में होगी।

840. परिभाषायें—इन नियमों में जब तक विषय व सन्दर्भ से कोई चीज विपरीत न हो;

(क) 'अधिनियम' का अर्थ है भारत सरकार अधिनियम, 1935;

(ख) 'परिषद' का अर्थ है राजस्व परिषद, संगठित प्रान्त (अब उ० प्र०);

(ग) 'आयोग' का अर्थ है संगठित प्रान्त (अब उ० प्र०) लोक सेवा आयोग;

(घ) 'सरकार' का अर्थ है संगठित प्रान्त (अब उ० प्र०) की सरकार;

(ङ) 'राज्यपाल' का अर्थ है संगठित प्रान्त (अब उ० प्र०) का राज्यपाल;

(च) 'सेवा का सदस्य' का अर्थ है इन नियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत अधिष्ठायी हैसियत में या इन नियमों के आने के पूर्व प्रवर्तित के सेवा के संवर्ग में किसी पद पर नियुक्त राज्य कोई सेवक।

(छ) 'सेवा' का अर्थ है अधीनस्थ राजस्व शासकीय सेवा (तहसीलदार)।

भाग 2

संवर्ग व भर्ती

841. संवर्ग—अधीक्षक, पत्थर महल मिर्जापुर के एक पद को मिलाकर सेवा की संख्या 205 निम्नलिखित पाँच पदक्रमों में विभाजित है—

विशिष्ट चयन पदक्रम	4
I पदक्रम	27
II पदक्रम	45
III पदक्रम	61
IV पदक्रम	68

परन्तु—

(i) राज्यपाल आवश्यकता पड़ने पर, समय-समय पर, अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों को सृजन द्वारा संवर्ग को बढ़ा सकते हैं,

(ii) परिषद किसी रिक्त पद को बिना उसके द्वारा राज्य के किसी सेवक को प्रतिकार का हकदार बनाये अनभरा छोड़ सकता है या राज्यपाल प्रास्थगन में रख सकते हैं।

टिप्पणी—अधीक्षक पत्थर महल मिर्जापुर का पद चतुर्थ पदक्रम में हैं।

842. भर्ती का स्त्रोत—सेवा हेतु भर्ती प्रोन्नति द्वारा की जायेगी—

(i) नायब-तहसीलदार,

(ii) कुमायूँ मंडल के पेशकार,

(iii) कानूनगो निरीक्षक व प्रशिक्षक, तथा

(iv) सदर कानूनगो।

843. की जाने वाली नियुक्तियों की संख्या—परिषद पहिली मार्च; प्रतिवर्ष को सरकार को आगामी कैलेन्डर वर्ष में आशयित सेवा में रिक्तियों की संख्या प्रतिवेदित करेगा तथा राज्यपाल तत्व की जाने वाली नियुक्तियों की संख्या निर्धारित करेंगे।

भाग 3

योग्यता में

844. [निरसित]

भाग 4

भर्ती की प्रक्रिया

845. (1) (क) सेवा हेतु भर्ती के उद्देश्यों के लिए, एक चयन सभी स्थायी नायब-तहसीलदारों, पेशकारों, कानूनगो निरीक्षक या निरीक्षकों तथा सदरकानूनगोवों में से किया जायेगा जो इस प्रकार कुल सात वर्षों से कम नहीं सेवा में या उच्च किसी अधिष्ठायी पद पर या कार्यवाहक हैसियत से जिस वर्ष चयन किया जाना है उस वर्ष के जनवरी के प्रथम तिथि पर रहे हों।

(ख) प्रोन्नति हेतु अभ्यर्थियों के चयन में उनके—

(i) व्यक्तित्व व चरित्र,

(ii) बुद्धि व कुशलता तथा शक्ति (अश्व पृष्ठ पर मात्रा की योग्यता सहित),

(iii) प्रभावी पर्यवेक्षण की क्षमता,

(iv) कठिन व सही कार्य करने की शक्ति,

(v) दायित्व निर्वहिन की शक्ति,

(vi) स्वप्रेरणा, चालन तथा आश्रयता,

(vii) सेवा का पूर्वाभिलेख को ध्यान दिया जायेगा।

(2) चयन हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया होगी—(i) परिषद, योग्यतानुसार, उनमें से सर्वोत्तम योग्यता वाले अभ्यर्थियों की जो तहसीलदार के पद हेतु प्रोन्नति के पात्र हैं, एक सूची तैयार करेगा। सूची में वर्ष भर में भरी जाने वाली अधिष्ठायी रिक्तियों की साधारणतया दौहरी संख्या नामों की होगी।

(ii) परिषद योग्यतानुसार, कार्यवाहक या अस्थायी प्रोन्नतियों के योग्य समझे जाने वाले अभ्यर्थियों के नामों वाली एक अनुपूरक सूची तैयार करेगा, इस सूची में साधारणतया वर्ष भर में कार्यवाहक या अस्थायी आशयित रिक्तियों के सम्मानित संख्या के समान नाम होंगे।

(iii) ऊपर खण्ड (i) व (ii) के अन्तर्गत तैयार सूचियों के साथ एक पदक्रम सूची जिसमें वरिष्ठों, यदि कोई हो, के पार कर जाने के कारणों को इंगित करते हुए तथा सभी पात्र कर्मचारियों की चरित्र पंजिकायें परिषद द्वारा आयोग को अग्रसारित की जायेंगी। आयोग दोनों सूचियों में से किसी में जोड़े गए कर्मचारियों के नामों, यदि कोई हों, जो चयन समिति द्वारा विचारणीय समझे गये हों के सभी पात्र अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार

करेगा। आयोग तब परिषद को पत्रजातों को वापस करेगा तथा यह भी इंगित करेगा कि क्या उनकी राय में, सभी या किसी अभ्यर्थी का चयन समिति द्वारा साक्षात्कार होना है।

(iv) परिषद तब आयुक्त की सलाह से चयन समिति की एक तिथि निर्धारित करेगा जिसमें—

(i) आयोग का प्रतिनिधि जो समिति की अध्यक्षता करेगा,

(ii) राजस्व परिषद का एक सदस्य,

(iii) मंडल का एक आयुक्त जिसे राज्यपाल नामित करें, होंगे।

सचिव, राजस्व परिषद (समिति के एक गैर-सदस्य सचिव की हैसियत से कार्य करेंगे) पात्र अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगा जिसका नाम आयोग द्वारा तैयार किये गये अन्तिम सूची में निहित हैं तथा उनमें से ऐसों का जो आयोग द्वारा ऊपर खण्ड (iii) दृष्टित हैं साक्षात्कार लेगा।

(v) समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची आयोग के प्रतिनिधि द्वारा आयोग के समक्ष रखने हेतु अपने साथ ले ली जायेगी तथा वे उसे पश्चात् अपनी अन्तिम संस्तुति परिषद् को प्रेषित करेंगे।

(vi) परिषद ऊपर खण्ड (v) में आयोग से प्राप्त प्रथम सूची में, उतने अभ्यर्थियों को जितनी स्थायी रिक्तियाँ निकालेगा तथा एतत् पश्चात् मूल सेवा में उनकी वरिष्ठता के अनुसार उनके नामों को पुनर्व्यवस्थित करेगा और वे अधिष्ठायी रिक्तियों पर नियुक्त होंगे। प्रथम सूची के बचे नामों तथा उन दूसरी सूची को योग्यतानुसार चयन सूची निर्मित करने वाले समझा जायेगा। कर्मचारियों को वर्ष भर में जैसे ही रिक्तियाँ आयेंगी उक्त पुनर्व्यवस्थित चयन सूची के उनके नामों के क्रम में कार्यवाहक व अस्थायी रिक्तियों पर कार्य हेतु प्रस्तावित किया जायेगा। यह चयन सूची 'मात्र' एक वर्ष तक चलेगी जब तक कि आने वाले वर्ष में चयन का विचार नहीं बनता।

(vii) दो वर्षों तक लगातार स्थायी रिक्तियों में आने पर तथा केवल अस्थायी व कार्यवाहक रिक्तियों के लिए चयन की आवश्यकता पड़ने पर भी उपरोक्त विहित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।

भाग 5

नियुक्ति, परिवीक्षा तथा पुष्टिकरण

846. अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची—(1) तहसील की तरह (एतस्मिनपश्चात् सूचीबद्ध अभ्यर्थी कहा जायेगा) प्रोन्नति के लिए चयनित अभ्यर्थियों के नाम उनके प्रोन्नति की तिथि के अनुसार परिषद द्वारा पुनर्व्यवस्थित एक सूची रखी जायेगी।

(2) उसी तिथि पर चयनित अभ्यर्थी, जब उसी सेवा से प्रोन्नत हों, तो उस सेवा में उनकी वरिष्ठता के अनुसार स्तर प्राप्त करेंगे।

(3) विभिन्न सेवाओं से उसी तिथि को सूचीबद्ध चयनित अभ्यर्थी प्रोन्नति के ठीक पहले उनके अधिष्ठायी वेतन के अनुसार यदि समान वेतन न हो तो सेवा की उनकी लम्बाई के अनुसार स्तर प्राप्त करेंगे।

847. नियुक्ति—(i) परिषद सेवा में अधिष्ठायी रिक्तियों के आने पर अभ्यर्थियों की वरिष्ठता के क्रम में जिनका नाम पैरा 846 में रखी गयी सूची में प्रविष्ट हैं उन पर नियुक्त करेगा।

(ii) उस प्रकार सभी नियुक्तियों को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जायेगा।

848. वरिष्ठता—सेवा में वरिष्ठता अधिष्ठायी नीति के आदेश की तिथि द्वारा सुनिश्चित की जायेगी : परन्तु यदि दो या अधिक अभ्यर्थी उसी तिथि को नियुक्ति हों तो पैराग्राफ 846 के अन्तर्गत रखी गयी सूची में स्थितियों के क्रमानुसार उनकी वरिष्ठता सुनिश्चित होगी।

849. परिवीक्षा—(i) अधिष्ठायी रिक्ति पर या में नियुक्ति पर प्रत्येक सूचीबद्ध अभ्यर्थी दो वर्षों के समय के लिए परिवीक्षा पर रखे जायेंगे।

(ii) सेवा के संवर्ग में शामिल किसी पद पर या किसी उच्च पद पर लगातार किसी कार्यवाहक या अस्थायी हैसियत से की गयी सेवा की परिवीक्षा-काल की गणना में शामिल किया जायेगा।

850. विभागीय परीक्षा में—(i) प्रत्येक सूचीबद्ध अभ्यर्थी, चाहे अधिष्ठायी रिक्ति पर नियुक्ति हो या नहीं, यह अपेक्षा होगी कि वह विभागीय विषय और प्रान्त की भाषाओं की परीक्षा उत्तीर्ण करना तथा ऐसे प्रशिक्षण में जाना होगा जैसा राज्यपाल समय-समय पर विहित करें।

(ii) ऐसा प्रत्येक अभ्यर्थियों को उत्तरवर्ती परीक्षाओं में जैसा उपनियम (1) में अपेक्षित हो जब तक उत्तीर्ण न हो जाय बैठेगा, जब तक कि वह बीमारी से रोका नहीं जाता है या परिषद द्वारा विशेष छूट नहीं प्राप्त कर लेता। एक चिकित्सा प्रमाणपत्र पैराग्राफ 85 के परन्तुक में विहित तीन वर्ष या सीमा तक बीमारी के मामले में अपेक्षित होगा। राज्यपाल की अनुमति इस सीमा से परे किसी परीक्षा में बैठने से छूट के लिए किसी अभ्यर्थी हेतु आवश्यक होगी।

टिप्पणी—विभागीय परीक्षाओं के नियम एक पर्चे में प्रकाशित किया जा चुका है जिसे अधीक्षक, प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी, इलाहाबाद से प्राप्य हैं।

851. यदि किसी समय या परिवीक्षा के अन्त में ऐसा लगता है कि परिवीक्षा पर नियुक्त व्यक्ति अपने अवसरों का पर्याप्त प्रयोग नहीं किया है या पूर्णतया विभागीय परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं किया या यदि वह अन्यथा सन्तोष प्रदान करने में असफल रहा है तो वह अपने अधिष्ठायी नियुक्ति पर वापस किया जा सकता है।

परन्तु परिषद तीन वर्षों तक परिवीक्षा-काल बढ़ा सकता है। इस काल से परे की वृद्धि के लिए राज्यपाल के अनुमति की अपेक्षा होगी। प्रत्येक वृद्धि चाहे परिषद द्वारा स्वीकृत हो या राज्यपाल द्वारा जब तक के लिए हो एक निश्चित तिथि का उल्लेख करेगा।

टिप्पणी—मात्र सकारण ही तीन वर्षों से परे कोई वृद्धि स्वीकार की जा सकती है। यह तथ्य कि किसी अभ्यर्थी के प्रान्त में या बाहर विशिष्ट कर्त्तव्य के लिए अभिलिखित हुआ है, वृद्धि के लिए वैध आधार होगा।

852. पुष्टिकरण—कोई परिवीक्षाधीन कर्मचारी परिवीकाल या परिवीक्षा के बढ़े काल के अन्त में अपनी नियुक्ति में पुष्टिकृत होगा, यदि—

(1) यदि वह तहसीलदार की विभागीय परीक्षा को पूर्णतया उत्तीर्ण कर लिया है,

(2) आयुक्त प्रतिवेदन देता है कि वह पुष्टि के योग्य है तथा उसकी सत्यनिष्ठा यदि प्रश्नहीन है, तथा

(3) नियुक्तिकर्त्ता प्रधिकारी उसके पुष्टिकरण के लिए योग्यता के बारे में सन्तुष्ट है।

कार्यवाहक तथा अस्थायी नियुक्तियाँ

853. (i) अस्थायी रिक्तियाँ जिनके छः सप्ताहों से अनधिक चलने की सम्भावना नहीं है यदि जनपद में उपलब्ध हों तो किसी सूचीबद्ध अभ्यर्थी की नियुक्ति से जनपद अधिकारी द्वारा भरी जा सकती है, किन्तु ऐसे अभ्यर्थी की अनुपलब्धता में सर्वोत्तम योग्यता वाले कर्मचारी की नियुक्ति की जा सकती है।

(ii) छः सप्ताहों से अधिक किन्तु तीन माहों से अधिक नहीं चलने वाली रिक्तियाँ किसी सूचीबद्ध अभ्यर्थी की नियुक्ति से जनपद अधिकारी द्वारा भरी जायेगी, यदि जनपद में कोई उपलब्ध हों तो, यदि ऐसे अभ्यर्थी अनुपलब्ध हों तो आयुक्त को एक प्रतिवेदन दिया जायेगा जो, यदि सम्भव हुआ, मंडल के किसी अन्य जनपद सूचीबद्ध अभ्यर्थी की नियुक्ति करेगा। यदि मंडल में ऐसे सूचीबद्ध अभ्यर्थी नहीं, उपलब्ध होते हैं। तो उपलब्ध सर्वोत्तम योग्यता वाले कर्मचारी की आयुक्त नियुक्ति करेगा या जनपद अधिकारी को नियुक्ति के लिए अधिकृत करेगा।

(iii) तीन महीनों से अधिक चलने वाली सभी रिक्तियाँ उपयुक्त की आख्या पर परिषद द्वारा भरी जायेगी।

854. तहसीलदारों में सभी प्रतिवर्तनों या परिवर्तनों को जैसे ही वे घटती हैं जनपद अधिकारी द्वारा आयुक्त को तथा परिषद को विहित प्ररूप पर अधिसूचित किया जायेगा।

भाग 6

वेतन

855. वेतन का मासिक दर—(1) संगठित प्रांत पुनरीक्षित वेतन दर नियमावली, 1931 के प्राविधानों के अधीन तहसीलदारों के पद पर नियुक्त व्यक्तियों के लिए स्वीकार्य मासिक वेतन दर, चाहे किसी अधिष्ठायी या किसी कार्यवाहक हैसियत से या अस्थायी मानदंड पर हो निम्नलिखित होगा—

(i) नियुक्ति हेतु नियुक्त या चयनित व्यक्तियों के लिए—

	4 जुलाई, 1931 से पहले	4 जुलाई, 1931 को या पश्चात् किन्तु 1 अप्रैल, 1944 से पहले
विशिष्ट चयन पदक्रम	360	300
I पदक्रम	300	240
II पदक्रम	240	190
III पदक्रम	210	170
IV पदक्रम	110	150

(ii) 1 अप्रैल, 1944 से मासिक वेतन रू० 160-10-240-10-300 (द० रो० 240 पर) के वेतनमान आहरित करेगा, परन्तु उस तिथि पर सेवा में जो व्यक्ति थे उनको विकल्प होगा कि ऊपर खण्ड (1) में लागू पदक्रम दर भू नियम 23 सपठित उस नियम से सम्बन्धित नियम के सन्यरीक्षा निर्देश सं० 3 के प्राविधानों के अनुसार आहरित करे।

(iii) 15 जनवरी, 1959 से रू० 200-10-250-द० रौ०-15-325-द० रो०-15-400 के वेतनमान में मासिक वेतन आहरित करेगा, परन्तु व्यक्ति जो उस तिथि पर सेवा में थे उनको विकल्प होगा कि वे उस वेतन को जारी रखे जो उस तिथि से पहले से मूल नियम 28 के प्राविधानों के अनुसार सेवा में ले रहे थे।

(iv) दक्षतारोकों को पार करने की कसौटी। किसी तहसीलदार को दक्षता रोक को पार करने की स्वीकृति नहीं होगी जब तक कि उसकी सेवा का अभिलेख यह प्रदर्शित करता हो कि उसने दृढ़ता पूर्वक भिन्न योग्यता व सख्त ईमानदारी से कार्य किया है।

(2) तहसीलदार के निम्नलिखित पदों पर नियुक्त व्यक्ति प्रत्येक के समक्ष उल्लिखित विशिष्ट वेतन आहरित करेंगे:

(i) तहसीलदार, पत्थर महाल, मिर्जापुर।	विशिष्ट वेतन रु० 20 प्रतिमाह की दर से	अस्वास्थ्यकर परिक्षेत्र के वास्ते।
(ii) तहसीलदार, किचा जनपद नैनीताल	विशिष्ट वेतन रु० 75/- प्रतिमाह की दर से	
(iii) तहसीलदार, हल्द्वानी नैनीताल	विशिष्ट वेतन रु० 50/- प्रतिमाह की दर से	

856. पदक्रम प्रोन्नति—(i) उन तहसीलदारों की पदक्रम प्रोन्नतियाँ जो तत्समय वेतनमान से को नहीं चुनते उनके कार्यों पर आयुक्त व जनपद अधिकारियों के प्रतिवेदन तथा उनकी चरित्र पंजिका पर विचार करने के पश्चात् उनकी कार्य क्षमता के अधीन वरिष्ठता से परिषद द्वारा प्रदान किया जायेगा। कोई तहसीलदार एक पदक्रम से दूसरे में प्रोन्नत नहीं किया जायेगा जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न हो जाय।

(ii) तहसीलदारों के सभी पदक्रम वेतन जो अब भी पैरा 855 के खण्ड (1) के उपखण्ड (i) उल्लिखित वेतन का पदक्रम दरों को रोक रखा है सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किये जायेंगे।

टिप्पणी—कार्यवाहक रिक्तियों की पदक्रम प्रोन्नतियाँ, वित्तीय पुस्तिका, खण्ड II, भाग II में मूल नियम 30 (i) के प्रथम परन्तुक के सम्बन्ध में राज्यपाल के आदेशों के पैराग्राफ I सपठित पैराग्राफ IV के प्राविधानों के अधीन विनियमित की जायेंगी।

भाग 7

अन्य प्राविधान

857. सिफारिश—भर्ती के लिए कोई संस्तुति, लिखित या मौखिक, इन नियमों की अपेक्षा के अलावा विचारणीय नहीं होगी। अन्य साधनों द्वारा अपनी अभ्यर्थिता के पक्ष में प्रत्यक्ष या परोक्ष सूचीबद्धता हेतु सहायतार्थ अभ्यर्थी की तरफ का कोई प्रयास उसे अयोग्य ठहरायेगा।

858. स्थानान्तरण—(1) तहसीलदार अपने जनपद अधिकारियों द्वारा एक तहसील से दूसरे में, आयुक्त द्वारा अपने मंडल में एक जनपद से दूसरे में तथा परिषद द्वारा एक मंडल से दूसरे मंडल में स्थानान्तरित किये जा सकते हैं।

(2) किसी तहसीलदार को आयुक्त अपने मंडल के किसी जनपद में अपने विवेक से किसी विशेष तहसील के लिए पदारूढ़ कर सकता है, उसी प्रकार परिषद किसी तहसीलदार को अपने विवेक से प्रान्त में किसी विशेष जनपद या तहसील में पदारूढ़ कर सकता है। उस प्रकार पदारूढ़ तहसीलदार को उस तहसील या जनपद से आयुक्त के या परिषद के, जैसी स्थिति हो, बिना पूर्वानुमति के स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण—जहाँ कोई आयुक्त एक से अधिक मंडलों का भारसाधक है, इस नियम के उद्देश्यों से उसके क्षेत्राधिकार का पूरा क्षेत्र एक मंडल बनाने वाला समझा जायेगा।

854. दण्ड व अपील—अधीनस्थ सेवा के लिए दण्ड व अपील नियमावली में प्रख्यापित दण्डों व अपीलों को विनियमित करने वाले नियमों के प्राविधान निम्नलिखित उपांतरों के अधीन सेवा में नियुक्त व्यक्ति के लिए लागू होंगे :

(1) जनपद अधिकारी किसी तहसीलदार की परिनिंदा कर सकता है।

(2) किसी तहसीलदार को जनपद अधिकारी कार्यालयी दुर्व्यवहार के किसी घटना में जाँच के लम्बन में या ऐसे दुर्व्यवहार के लिए किसी आख्या पर आदेशों के प्राप्ति के लम्बन में निलम्बित कर सकता है।

(3) दण्ड का कोई आदेश, किसी तहसीलदार के हटाने या पदच्युति के अलावा, आयुक्त द्वारा पारित किया जा सकता है जो परिषद को एक प्रति प्रेषित करेगा।

(4) किसी तहसीलदार के दण्ड के किसी आदेश जो कि राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया गया था परिषद द्वारा पारित किया जा सकता है।

(5) परिषद किसी तहसीलदार के लिए जिसकी नियुक्ति राज्यपाल ने किया था हटाने या पदच्युति के अलावा, कोई दण्डादेश पारित कर सकता है।

(6) राज्यपाल द्वारा नियुक्त किसी तहसीलदार के मामले में हटाने या पदच्युक्ति के दण्डादेश की अपेक्षा यदि परिषद करता है, परिषद पूर्ण कार्यवाहियों के साथ औपचारिक आरोपों, अधिकारी का स्पष्टीकरण तथा उसके पक्ष-विपक्ष के साक्ष्य सहित अपने निष्कर्षों व सरकार के लिए संस्तुतियों को आदेशों हेतु प्रस्तुत करेगा।

860. वेतन, अवकाश व पेन्शनों इत्यादि का विनियमन—इन नियमों में यथा प्राविधानित के अलावा वेतन, भत्ते, अवकाश पेन्शन व सेवा में नियुक्त व्यक्ति की सेवा की अन्य शर्तें भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 241 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत बने नियमों तथा ऐसा नियमों के विवाद के लम्बन

में उक्त अधिनियम की धारा 276 के द्वारा प्रवर्तन में जारी नियमों द्वारा और गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया (कमेन्समेंट व ट्रान्जिटरी प्राविजन्स) आर्डर, 1936 के पैराग्राफ 15 के उपपैरा (2) के प्राविधानों के अनुसार या द्वारा विनियमित होंगे।

861. उन नियमों में किसी चीज के होते हुए भी, अधिकारी जो 15 अगस्त, 1947 से उत्तर प्रदेश राज्य में शामिल होने वाले किसी क्षेत्र में या एतस्मिन् पश्चात् उसमें शामिल होने वाले हैं। सेवारत को उस क्षेत्र में शामिल हो जाने पर उस संवर्ग के उस पद पर आयुक्त से सलाह लेकर नियुक्त किये जा सकते हैं तथा नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तिगत इन नियमों के अन्तर्गत सेवा में नियुक्त समझे जायेंगे।